न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 10/2015

श्री दुर्गालाल पुत्र श्री भूरा जाति ढोली निवासी ग्राम चान्दना हाल तहसील टांटोटी जिला अजमेर।

.....*अपीलान्टस्*

बनाम

राजस्थान सरकार

.....रेस्पोडेन्ट

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री महेन्द्र सिंह चौहान, वकील अपीलान्टस् की ओर से।
2. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील

–: आदेश :–

दिनांक 03.06.2016

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के आदेश क्रमांक/राजस्व/आवंटन/2059/61 दिनांक 20.08.1987 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा श्री दुर्गालाल पुत्र श्री भूरा जाति ढोली निवासी ग्राम चान्दना हाल तहसील टांटोटी जिला अजमेर के पक्ष में ग्राम चान्दना के आराजी खसरा नम्बर 418/1/3 रकबा 3 बीघा भूमि का गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 48 भर कर तहसीलदार सरवाड़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। नामान्तरकरण पर भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट अंकित की गई कि "मौके पर जांच की गई आवंटी का कब्जा 418/1/3 पर नहीं है बल्कि आ. ख. नं. 418/1/20 रकबा 3 बीघा पर है।" इसी रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार सरवाड़ द्वारा अपने आदेश दिनांक 27.10.1988 से नामान्तरकरण निरस्त कर दिया गया। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 27.10.1988 से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है। मियाद के बिन्दु पर रेस्पोन्डेन्ट द्वारा एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने पर न्यायहित में मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुये व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि ग्राम चान्दना स्थित खसरा नम्बर 418 में से 3 बीघा भूमि का आवटंन अपीलान्ट के पक्ष में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

दिनांक 23.07.1987 को किया गया था, तत्पश्चात् राजस्व ऐजेन्सी द्वारा अपीलान्ट को मौके पर आवंटित भूमि का कब्जा सुपुर्द किया गया। मौका अनुसार आवंटित भूमि के पश्चिम में देवकरण व उत्तर में सेवानाथ की खातेदारी की भूमि स्थित है। सुपुर्दगी में दी गई भूमि पर ही अपीलान्ट तत्समय से आज तक निरंतर काबिज काश्त चला आ रहा है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस जारी रखते हुये आगे कथन किया कि भू अभिलेख निरीक्षक की त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट के कारण आक्षेपीय आदेश से नामान्तरकरण निरस्त कर दिया गया है जो कतई अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। उनका यह भी कथन है कि आवंटन से लगातार आदिनांक तक अपीलान्ट नामान्तरकरण के मुख्यपृष्ठ पर अंकित तरमीम खसरा नम्बर 418/1/3 रकबा 3 बीघा भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। लेकिन राजस्व रेकार्ड में अपीलान्ट का नाम अंकित नहीं होने के कारण अपीलान्ट के विरूद्व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। आक्षेपीय नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 1 में हुये अंकन के अनुसार हल्का पटवारी द्वारा प्रविष्टि की क्रम संख्या 58 अंकित किया जाना दर्शित होता है जिसे काट कर 48 किया जाना प्रतीत होता है एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा गैर कानूनी रूप से अपीलान्ट का कब्जा उक्त नामान्तरकरण पर अंकित तरमीम खसरा नम्बर 418/1/3 पर होने के बावजूद 418/1/20 पर होना अंकित करते हुये त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट अंकित कर दी गई जो संभवतया नामान्तरकरण संख्या 58 के बजाय 48 करने के कारण हुई है। अतः अपीलान्ट की कब्जे काश्त की वास्तविक भौतिक कब्जे की रिपोर्ट मंगवाई जाकर अपीलान्ट के कब्जे के संबंध में भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार प्रकट हुई संदिग्धता को दूर किया जा सकता है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि धारा 91 की कार्यवाहीं से स्पष्ट है कि अपीलान्ट का आवंटित भूमि पर लगातार कब्जा काश्त है तथा आवंटित भूमि पर पिछले 28 वर्षो से बहैसियत आवंटी काबिज काश्त है जिससे आवंटन आदेश की पालना में 10 वर्षो से अधिक समक्ष व्यतीत हो जाने के कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश निरस्त किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि अपीलान्ट के नाम खातेदारी में दर्ज की जावें।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में पैरोकार सरकार ने कथन किया कि पटवारी हल्का द्वारा उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के आदेश की पालना में नामान्तरकरण भर कर पेश किया गया था। भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा नामान्तरकरण पर अंकित रिपोर्ट बाबत् विवादित भूमि की भौतिक जांच कर पुर्नविचार हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोधित होगा।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि का आवंटन अपीलान्ट के पक्ष में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था तथा पटवारी हल्का द्वारा आवंटी के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के आदेश से गैर खातेदारी का नामान्तरकरण भर कर पेश किया

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

गया था जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता प्रतीत नहीं होती है। अधिनस्थ न्यायालय को आक्षेपीय आदेश से नामान्तरकरण निरस्त करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये था। पत्रावली में उपलब्ध धारा 91 के नोटिस व जुर्माना रसीदों से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा आवंटित भूमि पर काश्त की जा रही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 48 में पारित आदेश दिनांक 27.10.1988 निरस्त किया जाकर अपील तहसीलदार टांटोटी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे विवादित भूमि की मौके पर भौतिक रूप से जांच कर अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करें।

आदेश आज दिनांक 03.06.2016 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner